5408(E)
15/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक– 15.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत कपड़फोरा (परीक्षण चौक) से दरिहारा पथ के कि0मी0 0.00 से 11.70 तक (कुल लम्बाई–11.70 Km) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2014–15 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
(ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
(iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–260(अनु0) दिनांक–24.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	कपड़फोरा (परीक्षण चौक) से दरिहारा पथ के कि0मी0 0.00 से 11.70 तक (कुल लम्बाई–11.70 Km) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2014–15
2.2	एकरारनामा संख्या	:	2 CMBD/2015-16
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹19,27,26,177.00
2.4	संवेदक का नाम	:	M/s Vinay Construction, Nawada
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	22.04.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	21.07.2016
2.7	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	30.06.2017

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

1. **एकरारनामा के अतिरिक्त कार्य के कारण विलंब** – एकरारनामा के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य के दौरान निम्न कार्यों का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।

(i) पथ के तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन में दो अदद 3/22/0 पुलिया का प्रावधान किया गया था। कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार उक्त पुलिया के स्थान पर 1 अदद 3/22/0 एवं 1 अदद 3/33/0 RCC Box Culvert का प्रावधान किया गया। नए प्रावधान की स्वीकृति में विलंब के कारण कार्य में विलंब हुआ।

(ii) एकरारनामा में पथ के प्रथम कि0मी0 में पथ परत की चौड़ाई 3.75 m कार्य हेतु प्रावधानित था, जबकि कार्य के दौरान 3.75 m चौड़ाई के बदले 5.5m चौड़ाई में कार्य सम्पन्न कराया गया।

(iii) पथ में 1.40 Km लम्बाई में 3.75 m चौड़ाई में PCC कार्य प्रावधानित था, जिसे 3.75 m चौड़ाई के बदले 5.5 m चौड़ाई में तथा 2.50 कि0मी0 लंबाई में कार्य कराया गया।

(iv) पथ के एकरारनामा में Brick Soling का कार्य संपादित कराया गया।

उपरोक्त कार्य एकरारनामा में शामिल नहीं रहने के कारण अतिरिक्त कार्य कराया गया, जिसके कारण संवेदक द्वारा 245 दिनों की अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

2. **बालू की अनुपलब्धता के कारण विलंब (National Green Tribunal)** – संवेदक द्वारा प्रमंडलीय कार्यालय में सूचित किया गया कि मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक–404 दिनांक–09.02.2016 द्वारा आदेश दिया गया कि माननीय National Green Tribunal, Eastern Zone Bench के आदेश के अनुपालन में लघु खनिज बालू के खनन प्रेषण एवं परिवहन से संबंधित तमाम गतिविधि को पर्यावरण स्वीकृति हासिल होने तक तत्कालिक प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। उक्त आदेश के कारण दो माह तक बालू की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रभावित रहा। संवेदक द्वारा इस मद में 61 दिनों का अवधि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके चलते 55 दिनों की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

3. **वर्षा एवं बाढ़ के कारण विलंब** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि जुलाई माह में वर्षा के कारण कार्यस्थल पर बाढ़ का पानी होने के चलते कार्य में बाधा उत्पन्न हुआ। संवेदक द्वारा इस मद में 91 दिनों का अवधि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 30 दिनों की अनुशंसा की गई है।

4. **बिहार विधान सभा चुनाव के कारण विलंब** – बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के कारण वाहनों के जब्ती के कारण कार्य में विलंब हुआ जिसके कारण संवेदक द्वारा 7 दिनों का अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा इस मद में 7 दिनों की अनुशंसा की गई है।

5. **पंचायत चुनाव 2016 के कारण विलंब** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत चुनाव के कारण कार्य में 7 दिनों का विलंब हुआ जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

अतः उपरोक्त कारण के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 344 दिनों अर्थात् दिनांक–30.06.2017 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वार सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयंकित कार्य में दिनांक–30.06.2017 तक समयवृद्धि इस शर्त्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि मे संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

15/7/19

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–260(अनु0) दिनांक–24.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत कपड़फोरा (परीक्षण चौक) से दरिहारा पथ के कि0मी0 0.00 से 11.70 तक (कुल लम्बाई–11.70 Km) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2014–15 (एकरारनामा संख्या– 2 CMBD/2015-16) हेतु दिनांक–30.06.2017 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

15/07/19
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

15.7.19
(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव–सह–आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

15.7.19
(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

15.7.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र0–7/विविध (स0वृ0)–06–31/2019 5408(E) पटना, दिनांक 15/7/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.7.19
(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।